



जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा०/प्रे० 300

जोधपुर, दिनांक 5-3-10

आदेश

विषय :- फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने की योजना में 11 के.वी लाईन व सब स्टेशन की लागत के संबंध में।

निगम द्वारा जारी आदेश संख्या जोविनिनि/प्र नि/अनु-पीपीएण्डएम/फा./प्रे.स. 2648 दिनांक 11.01.2010 (आर.ई.ओ.-175) के तहत फव्वारा एवं बूंद-बूंद सिंचाई के लिये प्राथमिकता से विद्युत कनेक्शन देने की योजना में विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में, दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के तहत उक्त कनेक्शन जारी करने के लिए खींची जाने वाली 11 के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. सबस्टेशन की संपूर्ण लागत तथा सर्विस कनेक्शन चार्जज आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। इस संदर्भ में तीनों विद्युत वितरण निगमों में समानता रखने की दृष्टि से वितरण समान मंच की बैठक दिनांक 15.01.10 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त कनेक्शनों के लिए खींची जाने वाली 11के.वी. लाईन एवं 11/0.4 के.वी. सबस्टेशन की लागत आवेदक से निम्नानुसार ली जावेगी:-

1. लाईन चार्जज :- लाईन चार्जज रुपये 100/- प्रति मीटर + 2000 रुपये प्रति पोल।


(यदि 120 मीटर स्पान पर 2 पोल लगते हैं तो चार्जज रुपये 12000 + 4000 = 16000 रुपये)

2. ट्रांसफार्मर- सब स्टेशन चार्जज :- ट्रांसफार्मर-सब स्टेशन की कीमत एवं भार के अनुसार

ट्रांसफार्मर निम्नानुसार लगाये जायेंगे :-


- | | |
|---|----------------|
| (a) 7.5 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 80000/- |
| (b) 7.5 एचपी से ज्यादा और 20 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 94000/- |
| (c) 20 एचपी से अधिक और 32 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 140000/- |
| (d) 32 एचपी से अधिक और 50 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 155000/- |
| (e) 50 एचपी से अधिक और 60 एचपी तक के कनेक्शन के लिये | रुपये 180000/- |
| (f) 60 एचपी से अधिक के कनेक्शन एचटी लाईन पर दिये जायेंगे। | |

सब स्टेशन कृषि कनेक्शन आवेदक द्वारा लगाया जावेगा।


5/3/2010
{एम एन टिपणी}
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

- शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निदेशक, (तकनीकी / वित्तीय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.जोन / बी.जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, (ए.एण्ड.आर / आई.ए. / डब्लू.एण्ड.एम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / जयपुर।
- सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष डिस्कॉमस, जयपुर, माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ ।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर / जिला / परि. एवं संघा. / टी.डब्लू-आई एण्ड एस / आरए एण्ड सी / एमएमसी / एमएण्डपी / बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालौर / बीकानेर / जैसलमेर / चुरू / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) / उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संघा. / एम.एम. / अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
- कम्पनी सचिव / उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।


 अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
 जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर